इएम/आरसी-162/714 12.05.2011

परिपत्र

प्रति:

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के सभी किरायेदार/पट्टेदार/लाइसेंसधारक

महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात है, मुंबई शहर में मलेरिया की समस्या बहुत ही गंभीर है. नगर निगम ने सक्रीय उपाय किये हैं / कर रहा है तथा मच्छरों की पैदावर के सम्भावित स्थानों की तलाश कर ली है. जल्द ही आनेवाले बरसात के मौसम को देखते हुए मलेरिया को फैलने से रोकने के सभी निवारक उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है.

प्रभावी रोगवाहक नियंत्रण तथा पराश्रयी नियंत्रण के व्दारा मलेरिया के प्रभावशाली नियंत्रण के लिए तथा आपकी संपत्ति/ क्षेत्र को मच्छर रहित बनाने के लिये बृ.मुं.म.पा. ने समय समय पर जारी किये गये निदेश तथा दिशा-निर्देशों के नियमित अनुपालन की आवश्यकता है. आगे, सफाई तथा मलेरिया निवारण से संबंधित बी.एम.सी. अधिनियम, 1886 की संबंधित धाराओं तथा अन्य नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाए. सभी पट्टेदारों और किरायेदारों व्दारा कुछ तत्काल किये जाने वाले उपाय/उठाये जाने वाले आवश्यक कदम निम्नानुसार दिये गये हैं .

i) यह सुनिश्चित करें कि आपके परिसर के अंदर तथा / अथवा उसके बाहर / नजदीकी क्षेत्र में पानी का जमाव न हो किसी भी रिसाव वाले तेज जल-निकास (स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज) अथवा पानी के पाइपों / नलों अथवा पानी के स्त्रोतों को सील/ प्लग / दुरुस्त किया जाए ताकि पानी जमा न हो अथवा रिसाव न हो, यह सुनिश्चित किया जा सके. कोई भी गैर क्रियाशील उपरी टंकियों तथा भूमिगत टंकियों को विघटित / दुरुस्त किया जाना चाहिये .

ii) खुले में पडे कोई भी रबर टायर, प्लास्टिक टयूब, कंटेनर तथा बरसात का जमा हुआ पानी हटा देना चाहिए और यदि हटाना संभंव न हो तो उनमें छिद्र कर दिया जाए ताकि ऐसे रबर टायरों तथा कंटेनरो में पानी जमा न हो सके.

iii) खुले क्षेत्रों में कोई मलवा तथा गीला कचरा डालने की अनुमति नहीं दी जाय तथा बृ.मुं.म.पा. के गीले तथा / सूखे कचरे को डिस्पोसेबल प्लास्टिक थैलों में अलग करने के मानक अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए.

iv) बृ.मुं.म.पा.के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिसरों में बार बार अंतरालों में मच्छर निरोधक छिडकाव कर विसंक्रमणित किया जाय.

आपके महत्वपूर्ण सहयोग का अनुरोध है.

भवदीया,

(सरोज टहिल्यानी)
संपदा प्रबंधक